

1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

श्री अरुण सुनील को बनाम श्री प्रकाश चन्द ठाकुर

किस मुकदमा नं० 2/239/2021 सन्

र
...
....

तारीख अहकाम जारी हुआ





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>19.08.2021</p> <p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 28.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 291 रकबा 0.84, 292 रकबा 0.56, 294 रकबा 0.29 हैक्ट0 किता 3 रकबा 1.69 हैक्ट0 वाके ग्राम चिडवाई तहसील रामगढ़ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 28.09.2021 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 28.09.2021 को पेश हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Form No.III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

..... वांजु बनाम गुलाब
 प्रकरण सं. 2/108/2023 तारीख रजू.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
28.8.24	पत्रावली हस्तगत हुई। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली अद्योप दिनांक 11.9.24 को पेश की गई।  रीडर	
11.9.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य है। कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 11.10.24 को पेश हो।  रीडर	
23-10-24	पत्रावली पेश। P.O. साहब चुनाव है। कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 4-12-24 को पेश हो।  रीडर	
04.12.24	पत्रावली हस्तगत हुई। पुरुलाप परामर्शान अनुपस्थित पछिल्ल व उनके हाथों को न्यायालय द्वारा धार-वार आवाज लगायी गई। कोई उपस्थित नहीं आयी। अतः हालीमा पत्र - 212 अन्तर्गत चारा राजठ अखतकाली अधिनियम 1955 को पछिल्ल व उनके हाथों की अफस पेशी - अफस हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत शूमार होकर नम्बर से फस हो। पत्रावली धार-तकरील हाथिल हफ्तर है। चुनाव। 	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०